न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2026(GCMS 2026/31)
(RTI No. 212657791320457)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री राजकुमार पुत्र हरीसिंह वीपीओ बरवाली, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ पिन–335504 (मोबाईल नम्बर – 90011–82996)

नाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**

22.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजकुमार उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2025 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. उपखण्ड व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार एसडीएम या एडीएम/तहसीलदार जिला श्रीगंगानगर में संचालित राजकीय व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों/ कॉलेजों की संख्या, नाम, पता, ईमेल, सम्पर्क सूत्र व उनके शी बॉक्स पर रजिस्ट्रेशन की प्रति, गठित आन्तरिक शिकायत समिति व उक्त का शी बॉक्स पोर्टल पर अपडेशन की प्रति, पोश अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों की प्रमाणित प्रति जो भी शी बॉक्स पोर्टल पर [illegible] की गई है।
2. आपके क्षेत्राधिकार में संचालित फैक्ट्री [illegible] के रजि. कारखाने, ईंट भट्टे व अन्य औद्योगिक इकाइयों [illegible] संख्या, नाम, पता, ईमेल, सम्पर्क सूत्र व उक्त श्रेणी के स[illegible] कार्यस्थलों का पोश अधिनियम 2013 की पालना में की शी बॉक्स पोर्टल कार्यालय रजिस्ट्रेशन व गठित आन्तरिक शिकायत समिति के अपडेशन की प्रति उपलब्ध करवायें

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

RTI अपील 15/2026– राजकुमार बनाम एसडीओ सूरतगढ़
(GCMS No. 2025/31)
(RTI No. : 212657791320457)
आदेश दिनांक 22.04.2026

3. आपके क्षेत्राधिकार में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के जरिये क्षेत्र में संचालित व कार्यरत समस्त श्रेणी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, ...
4. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार की नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, उपतहसील व तहसील स्तर पर कार्यरत व संचालित होटलों, धर्मशालाओं, रेस्टोरेंट, ...
5. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत रिको आधारित आद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या, ...
6. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में संचालित व कार्यरत राजकीय सामुदायिक अस्पतालों, ...
7. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार मे पंचायत समितियों की संख्या, नरेगा इकाईयों की संख्या, नाम, पता व उनके कार्यालयों के ......
8. आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार में लेबर डिपार्टमैंट के जरिये असंगठित क्षेत्र/ठेकेदारों द्वारा अपनी इकाईयों ......
9. बिन्दु संख्या 7 की सूचना राजकीय नोडल सरकारी कॉलेज, College education or Higher education के लोक सूचना प्राधिकारी को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में हस्तान्रित कर प्रकटन की जाने का प्रावधान हैं।
10. बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये पोर्टल labour department, boiler and factory department and RIICO department को, बिन्दु संख्या 3 की सूचना district Education Officer व Chief Education Officer, बिन्दु संख्या 04 की सूचना EO Municipality Office व इसी तरह अन्य सूचनायें सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर निहित SPIO को 6(3) में हस्तान्तरित कर प्रकटन करने की प्रक्रिया है।
11. 6(1) में प्रेषित आवेदन पर अधिनियम 2005 की धारा 11 पर पक्ष के तहत Third Party Information में Recruitm[illegible] अभ्यावेदन पत्र जारी कर सूचना प्रकटन की प्रक्रिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:34 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक आवंटन/आर.टी.आई./2026/272 दिनांक 27.06.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

[signature]
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

RTI अपील 15/2026– राजकुमार बनाम एसडीओ सूरतगढ
(GCMS No. 2025/31)
(RTI No. : 212657791320457)
आदेश दिनांक 22.04.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन अपील व आवेदन नं. 212657791320457 दिनांक 05.02.2026 एवं 212492582462644 दिनांक 02.12.2025 के सम्बन्ध में टिप्पणी निम्नानुसार है :

1. यह है कि प्रार्थी श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिसिंह 61, रामदेव मंदिर, वीपीओ बारवली, 8 बारानी, रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन नं. 212657791320457 दिनांक 05.02.2026 एवं आवेदन नं. 212492582462644 दिनांक 02.12.2026 के द्वारा आवेदन किया गया था, उक्त आवेदन में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/2025/615 दिनांक 29.12.2025 पत्र क्रमांक 675 दिनांक 29.12.2025 एवं पत्र क्रमांक 103 दिनांक 29.01.2026 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करते हुए निरस्त किया गया था।

अतः निवेदन है कि उक्त अपील संख्या 15/2026 को दाखिल दफ्तर करने की मेहरबानी फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी एक विभाग से सम्बन्धित नही है और एक से अधिक लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना **जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकारियों के अधिकार** में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया जाना माना जाता है। **आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग–अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

RTI अपील 15/2026– राजकुमार बनाम एसडीओ सूरतगढ़
(GCMS No. 2025/31)
(RTI No. : 212657791320457)
आदेश दिनांक 22.04.2026

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए आप द्वारा प्रस्तुत **अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ॰ अमित यादव)
जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:34 IST
Reason: SelfAttested